(170)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1904–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–03–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–478/2011–12

.....

सत्यप्रकाश सिंह पुत्र बुन्देल सिंह यादव

निवासी–तायडे कॉलोनी अशोकनगर

तहसील एवं जिला–अशोकनगर

————आवेदक

विरूद्ध

1– मेहरबान सिंह पुत्र कमल सिंह यादव

2– संग्राम सिंह पुत्र कमल सिंह यादव

3– संतराम सिंह पुत्र कमल सिंह यादव

4– रघुवीर सिंह पुत्र कमल सिंह यादव

निवासीगण–ग्राम पथरिया, तहसील अशोकनगर

जिला–अशोकनगर

————अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील अशोकनगर के ग्राम पथरिया में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 242 रकबा 1.860 है0 के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन किये जाने बाबत आवेदन पत्र

तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसील न्यायालय ने दिनांक 29.03.2011 से आवेदक के पक्ष में बटांकन का आदेश पारित किया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने अपने प्रकरण क्रमांक 82/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 से अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहॉ अपर आयुक्त ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 478/2011–12/अपील पर दर्ज कर दिनांक 22.03.2013 से विचारण न्यायालय तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधसम्मत न मानते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया तथा अनावेदकगण की अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किया जावे। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष बटांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया था। जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, जिस पर अनावेदकों का भी हिस्सा बांट है। विचारण न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर बटांकन की कार्यवाही प्रारंभ कि जाकर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये बगैर ही आवेदक के पक्ष में बटांकन का आदेश पारित किया है। अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में आपत्ति भी पेश की थी तथा उन्हें पक्षकार बनाये जाने के संबंध में आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 का आवेदन पत्र भी पेश किया गया था। विचारण न्यायालय ने न तो आपत्ति का निराकरण ही किया और न ही अनावेदकगण को हितबद्ध पक्षकार बनाया । जबकि प्रकरण में उनका भी हित निहित था। विचारण न्यायालय में अनावेदक क्र0 2 संग्राम सिंह ने इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया था कि सभी सहखातेदारों का एक प्रकरण इसी न्यायालय में बटवारा विचाराधीन है। जब तक बटवारा न हो जाये बटांकन नहीं किया जा सकता । विचारण न्यायालय ने संग्राम सिंह द्वारा प्रस्तुत किये

गये आवेदन पत्र पर भी विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील पेश की थी, जिसमें मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध में स्वत्व घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा पर विचार होना है, प्रकरण विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमियां संयुक्त भूमियां है और यदि बटवारा होता है तो सभी सहखातेदारों के मध्य होगा। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही विधि के विपरीत आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ग्वालियर ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-03-2013 न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,